

सामाजिक सुरक्षा एवं सेफगॉर्ड्स

जागरूकता, प्रशिक्षण एवं अनुश्रवण संबंधी दिशा निर्देश
FOR DISTRICT PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (DPIU)



यू०पी०एग्रीज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, यू०पी०डास्प, उ०प्र०

चतुर्थ तल, पिकप भवन, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-226010

पी०डी०एक्स: 2720718, 2721258, ईमेल: updasp12@gmail.com

टोल फ्री नम्बर: 1800-1800-118, वेबसाइट: www.updasp.org

सामाजिक सुरक्षा उपाय (Social Safeguards) रूपरेखा

परियोजना का नाम-	उत्तर प्रदेश कृषि विकास एवं ग्रामीण उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र सुदृढीकरण परियोजना (UPAGREES)
क्रियान्वयन एजेंसी-	समन्वय विभाग, उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण सहायता परियोजना (UPDASP), उत्तर प्रदेश सरकार
लागू मानक-	भारत सरकार के दिशा-निर्देश; विश्व बैंक का पर्यावरण एवं सामाजिक रूपरेखा (Environmental and Social Framework – ESMF)

1. उद्देश्य

UPAGREES के लिए सामाजिक सुरक्षा उपाय रूपरेखा (Social Safeguards Framework–SSF) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परियोजना के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियाँ समावेशी, न्यायसंगत तथा पर्यावरणीय दृष्टि से सतत कृषि विकास को बढ़ावा दें तथा परियोजना की योजना, क्रियान्वयन एवं संचालन के दौरान उत्पन्न होने वाले प्रतिकूल सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभावों से बचा जाए, उन्हें न्यूनतम किया जाए अथवा उनका प्रभावी शमन किया जाए।

2. कार्यक्षेत्र एवं प्रयोज्यता

यह रूपरेखा UPAGREES द्वारा समर्थित सभी गतिविधियों पर लागू होगी, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं—

- कृषक समूहों का गठन एवं एकीकरण (Farmer Aggregation)
- किसान उत्पादक संगठन (FPO) एवं स्वयं सहायता समूह (SHG) का सुदृढीकरण
- कृषि आधारित उद्यम (Agri-enterprises)
- मूल्य श्रृंखला (Value Chain) अवसंरचना
- जलवायु अनुकूल कृषि हस्तक्षेप
- संबद्ध क्षेत्रों के उद्यम (कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य पालन एवं पशुपालन)

3. सामाजिक सुरक्षा उपायों के सिद्धांत

(i) समानता एवं समावेशन (Equity and Inclusion)

महिला कृषकों, लघु एवं सीमांत कृषकों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों, बटाईदार एवं पट्टेदार कृषकों, भूमिहीन श्रमिकों, दिव्यांगजनों तथा अन्य कमजोर एवं वंचित वर्गों को प्राथमिकता के आधार पर परियोजना में सम्मिलित किया जाएगा।

(ii) लैंगिक मुख्यधारा (Gender Mainstreaming)

महिलाओं को परियोजना के लाभ, परिसंपत्तियों, प्रशिक्षण, नेतृत्व की भूमिकाओं तथा वित्तीय सेवाओं तक समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। परियोजना की प्रगति की निगरानी हेतु लैंगिक आधार पर पृथक संकेतकों का उपयोग किया जाएगा।

(iii) भूमि एवं आजीविका संरक्षण (Land and Livelihood Protection)

परियोजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार का अनैच्छिक भूमि अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। केवल स्वैच्छिक भूमि दान, संबंधित व्यक्ति की पूर्व जानकारी एवं लिखित सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाएगा। सामुदायिक संपत्तियों एवं साझा संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव से बचा जाएगा।

(iv) श्रम एवं कार्य परिस्थितियाँ (Labour and Working Conditions)

बाल श्रम एवं बंधुआ श्रम पूर्णतः प्रतिबंधित होंगे। उचित मजदूरी, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (Occupational Health & Safety) तथा सुरक्षित कार्य परिस्थितियों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(v) सामुदायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (Community Health and Safety)

कृषि रसायनों, निर्माण गतिविधियों, जलवायु जनित जोखिमों तथा लैंगिक आधारित हिंसा (GBV/SEA/SH) से संबंधित जोखिमों को कम करने हेतु आवश्यक उपाय किए जाएंगे।

(vi) हितधारक सहभागिता एवं शिकायत निवारण तंत्र (Stakeholder Engagement and GRM)

समुदायों के साथ नियमित परामर्श आयोजित किए जाएंगे तथा सभी हितधारकों के लिए सुलभ, बहु-स्तरीय एवं समयबद्ध शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाएगा।

5. संस्थागत व्यवस्था एवं क्षमता निर्माण

परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU) में समर्पित पर्यावरण एवं सामाजिक विशेषज्ञ (Environmental & Social Specialists) तथा जिला स्तर पर सुरक्षा उपाय नोडल अधिकारी/फोकल प्वाइंट (Safeguards Focal Points) नियुक्त किए जाएंगे।

परियोजना कार्मिकों, किसान उत्पादक समूहों (FPGs), किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), महिला उत्पादक समूहों (WPGs) तथा सामुदायिक संस्थाओं के लिए क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण एवं सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) संबंधी गतिविधियाँ संचालित की जाएँगी।

6. निगरानी, प्रतिवेदन एवं प्रकटीकरण

- सामाजिक एवं पर्यावरणीय संकेतकों को UPAGREES की प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) में समाहित किया जाएगा।
- समय-समय पर प्रगति प्रतिवेदन तैयार किए जाएंगे।
- तृतीय पक्ष मूल्यांकन (Third-Party Audit) एवं सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) के माध्यम से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- सुरक्षा उपायों से संबंधित दस्तावेजों तथा नागरिकों के अधिकारों एवं पात्रताओं का सार्वजनिक प्रकटीकरण पारदर्शिता के मानकों के अनुरूप किया जाएगा।

अपेक्षित परिणाम (Outcome)

यह सामाजिक सुरक्षा उपाय रूपरेखा सुनिश्चित करेगी कि UPAGREES परियोजना सामाजिक एवं पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के उच्च मानकों को बनाए रखते हुए समावेशी कृषि विकास, ग्रामीण आजीविका में वृद्धि, लैंगिक समानता तथा जलवायु-अनुकूल विकास को बढ़ावा दे।

A. परियोजना क्रियान्वयन के दौरान निगरानी किए जाने वाले व्यापक सामाजिक सुरक्षा मानक

1. लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण

सुनिश्चित किया जाएगा कि—

- महिला कृषकों, महिला मुखिया वाले परिवारों, स्वयं सहायता समूहों (SHGs) तथा महिला-नेतृत्व वाले किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) की अनिवार्य भागीदारी हो।
- परियोजना के लाभ, परिसंपत्तियों, प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता तथा बाजार से जुड़ाव तक महिलाओं की समान पहुँच सुनिश्चित हो।
- बैठकों का समय महिलाओं की सुविधा एवं बाल देखभाल की आवश्यकताओं के अनुरूप निर्धारित किया जाए।
- महिलाओं के लिए सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था हो।
- FPO एवं क्लस्टर प्रबंधन में महिलाओं को नेतृत्व की भूमिका प्रदान की जाए।
- MIS में लैंगिक आधार पर पृथक निगरानी संकेतकों का समावेश किया जाए।

कम किए जाने वाले प्रमुख जोखिम:

- बहिष्करण (Exclusion)
- प्रभावशाली वर्गों द्वारा लाभों पर एकाधिकार (Elite Capture)
- महिलाओं पर अवैतनिक कार्यभार में वृद्धि

2. सामाजिक समावेशन (कमजोर एवं वंचित वर्ग)

परियोजना में निम्नलिखित वर्गों की समुचित भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी—

- लघु एवं सीमांत कृषक
- अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) परिवार
- भूमिहीन कृषि श्रमिक
- पट्टेदार एवं बटाईदार कृषक
- दिव्यांगजन
- प्रवासी परिवार

साथ ही—

- गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर चयनित किया जाएगा।
- लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया पारदर्शी होगी।
- आवश्यकता अनुसार विभिन्न वर्गों के लिए विशेष सहायता पैकेज उपलब्ध कराए जाएंगे।

कम किए जाने वाले प्रमुख जोखिम:

- सामाजिक बहिष्करण
- लाभों का असमान वितरण

3. भूमि एवं संसाधन उपयोग संबंधी सुरक्षा उपाय

- परियोजना में केवल सार्वजनिक/सरकारी भूमि का उपयोग किया जाएगा।
- किसी भी प्रकार का अनैच्छिक भूमि अधिग्रहण नहीं किया जाएगा।
- केवल लिखित सहमति के आधार पर स्वैच्छिक भूमि दान स्वीकार किया जाएगा।
- यदि किसी स्थिति में आजीविका की हानि अथवा पुनर्वास का प्रश्न उत्पन्न होता है, तो **भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (R&R Act, 2013)** के प्रावधान लागू होंगे।
- समुदाय के लिए महत्वपूर्ण सार्वजनिक/साझा संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाएगा।
- अवसंरचना एवं परिसंपत्तियों के निर्माण से पूर्व भूमि स्वामित्व एवं अधिकारों का सत्यापन किया जाएगा।

कम किए जाने वाले प्रमुख जोखिम:

- विस्थापन
- आजीविका की हानि
- भूमि संबंधी विवाद

4. श्रम एवं कार्य परिस्थितियाँ

निम्नलिखित पूर्णतः प्रतिबंधित होंगे—

- बाल श्रम
- बंधुआ अथवा जबरन श्रम

निम्नलिखित स्थानों पर सुरक्षित एवं न्यायसंगत कार्य परिस्थितियाँ सुनिश्चित की जाएँगी—

- कृषि आधारित उद्यम
- प्रसंस्करण इकाइयाँ
- गोदाम

साथ ही—

- महिलाओं एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान मजदूरी प्रदान की जाएगी।
- व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (OHS) के सभी मानकों का पालन किया जाएगा।
- श्रम प्रबंधन दिशा-निर्देश (Labour Management Guideline) तथा OHS दिशा-निर्देश लागू होंगे।

कम किए जाने वाले प्रमुख जोखिम:

- श्रमिकों का शोषण
- असुरक्षित कार्यस्थल

5. सामुदायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण (Community Health, Safety & Well-being)

परियोजना के अंतर्गत समुदाय के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित उपाय अपनाए जाएंगे—

- कृषि रसायनों (Agro-chemicals) का सुरक्षित उपयोग, भंडारण एवं निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।
- जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक गर्मी (Heat Stress) तथा कीटनाशकों के संपर्क से होने वाले जोखिमों के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
- व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (Personal Protective Equipment–PPE) का अनिवार्य उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।
- परियोजना स्थलों के आसपास यातायात एवं निर्माण कार्यों से संबंधित सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे।
- परियोजना गतिविधियों के दौरान लैंगिक आधारित हिंसा, यौन शोषण एवं उत्पीड़न (GBV/SEA/SH) की रोकथाम हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
- व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (OHS) तथा शिकायत निवारण तंत्र (GRM) संबंधी दिशा-निर्देश लागू रहेंगे।

कम किए जाने वाले प्रमुख जोखिम

- स्वास्थ्य संबंधी खतरे
- लैंगिक आधारित हिंसा

6. शिकायत निवारण एवं नागरिक सहभागिता (Grievance Redress & Citizen Engagement)

परियोजना के अंतर्गत प्रभावी एवं पारदर्शी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की जाएगी—

- ग्राम-ब्लॉक-जनपद-राज्य स्तर पर बहु-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र (Multi-tier Grievance Redress Mechanism) स्थापित किया जाएगा।
- गुमनाम शिकायत दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध होगी।
- शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।
- समुदाय के साथ नियमित परामर्श एवं सामाजिक अंकेक्षण आयोजित किए जाएंगे।
- शिकायत निवारण दिशा-निर्देश (GRM Guideline) तथा हितधारक सहभागिता योजना (Stakeholder Engagement Plan–SEP) लागू होगी।

कम किए जाने वाले प्रमुख जोखिम

- विवाद एवं संघर्ष
- जवाबदेही का अभाव

C. समेकित (Cross-Cutting) सामाजिक सुरक्षा उपाय एवं क्रियान्वयन व्यवस्था

1. संस्थागत व्यवस्था (Institutional Arrangements)

परियोजना के प्रभावी संचालन हेतु—

- राज्य स्तर पर पर्यावरण एवं सामाजिक विशेषज्ञ नियुक्त किए जाएंगे।
- जनपद स्तर पर सामाजिक एवं पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के फोकल प्वाइंट नामित किए जाएंगे।
- संबंधित विभागों तथा पंचायती राज संस्थाओं (PRI) के साथ समन्वित कार्य प्रणाली विकसित की जाएगी।

2. क्षमता निर्माण (Capacity Building)

निम्नलिखित हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे—

- जिला परियोजना क्रियान्वयन इकाई (DPIU) के सुरक्षा उपाय नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण
- सहयोगी संस्थाओं (SOs) के क्षेत्रीय कार्मिक
- किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के पदाधिकारी
- कृषक, मत्स्य पालक एवं महिला स्वयं सहायता समूह (SHGs)
- स्थानीय भाषा (हिन्दी) में सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) सामग्री का विकास एवं वितरण

3. निगरानी, प्रतिवेदन एवं अनुपालन (Monitoring, Reporting & Compliance)

- पर्यावरण एवं सामाजिक (E&S) संकेतकों को UPAGREES की प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) में समाहित किया जाएगा।
- मध्यावधि (Mid-Term) एवं परियोजना समापन (End-Term) पर तृतीय पक्ष मूल्यांकन तथा सामाजिक अंकेक्षण कराया जाएगा।
- पर्यावरण एवं सामाजिक प्रदर्शन पर समय-समय पर प्रतिवेदन तैयार किए जाएंगे।

4. प्रकटीकरण एवं पारदर्शिता (Disclosure & Transparency)

परियोजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु—

- सामाजिक एवं पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों से संबंधित दस्तावेजों का सार्वजनिक प्रकटीकरण किया जाएगा।
- प्रत्येक उप-परियोजना स्थल पर "क्या करें" एवं "क्या न करें" (Dos & Don'ts) प्रदर्शित किए जाएंगे।
- शिकायत पंजीकरण एवं निवारण प्रणाली की जानकारी प्रत्येक परियोजना स्थल, कार्यालय एवं डैशबोर्ड पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी।
- प्रत्येक उप-परियोजना से संबंधित जानकारी सूचना पट्ट (Information Board) पर प्रदर्शित की जाएगी।
- प्रत्येक परियोजना स्थल पर सभी महत्वपूर्ण एवं आपातकालीन संपर्क नंबर प्रदर्शित किए जाएंगे।
- परियोजना स्थलों पर समुदाय को उनके अधिकारों एवं पात्रताओं के संबंध में व्यापक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

(For Reference)

1. श्रम प्रबंधन दिशा-निर्देश (Labour Management Guideline)
2. व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा दिशा-निर्देश (Occupational Health & Safety Guideline)
3. शिकायत पंजीकरण, प्रतिवेदन एवं निवारण दिशा-निर्देश
4. घटकवार (Component-wise) सामाजिक सुरक्षा उपायों की निगरानी हेतु प्रारूप (Monitoring Formats)

अनुलग्नक-1

सामाजिक एवं पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय

2-पृष्ठीय पॉकेट चेकलिस्ट

लागू: जिला अधिकारी | ब्लॉक टीम | FPOs | SHGs | फील्ड फैसिलिटेटर

A – अनुमोदन से पूर्व

1. उप-परियोजना स्क्रीनिंग एवं श्रेणीकरण (ESS-1)

जाँच बिंदु	✓/X	सत्यापन/जिम्मेदारी
☐ पर्यावरणीय एवं सामाजिक स्क्रीनिंग फॉर्म पूर्ण है	☐	DPIU/ब्लॉक
☐ स्थल निरीक्षण किया गया है	☐	DPIU/ब्लॉक
☐ जोखिम श्रेणी निर्धारित है (A,B,C)	☐	DPIU
☐ गतिविधि बहिष्करण सूची में नहीं है	☐	DPIU

2. भूमि अधिग्रहण (ESS-5)

जाँच बिंदु	✓/X	सत्यापन/जिम्मेदारी
☐ निजी भूमि का अधिग्रहण नहीं है	☐	DPIU
☐ परिवारों का विस्थापन नहीं होगा	☐	DPIU/ब्लॉक
☐ जहाँ लागू हो, स्वैच्छिक भूमि सहमति प्राप्त है	☐	ब्लॉक/FPO
☐ सामुदायिक/साझा संपत्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं है	☐	ब्लॉक/DPIU

3. उप-परियोजना चयन से पूर्व परामर्श (ESS-10)

जाँच बिंदु	✓/X	सत्यापन/जिम्मेदारी
☐ समुदाय के साथ परामर्श किया गया है	☐	FPO/SHG
☐ महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित है	☐	FPO/SHG
☐ संवेदनशील/कमजोर समूहों से परामर्श हुआ है	☐	ब्लॉक टीम
☐ बैठक/परामर्श के अभिलेख सुरक्षित हैं	☐	FPO/फील्ड टीम

B – कार्यान्वयन के दौरान

4. श्रम एवं सुरक्षा मानदंड (ESS-2)

जाँच बिंदु	✓/X	सत्यापन/जिम्मेदारी
☐ बाल श्रम का उपयोग नहीं है	☐	कार्यस्थल प्रभारी
☐ जबरन/बंधुआ श्रम नहीं है	☐	कार्यस्थल प्रभारी
☐ महिला एवं पुरुष को समान कार्य हेतु समान मजदूरी	☐	FPO/SHG
☐ PPE एवं सुरक्षा उपकरण उपलब्ध व उपयोग में हैं	☐	कार्यस्थल प्रभारी
☐ श्रमिक GRM से परिचित हैं	☐	फील्ड टीम

5. पर्यावरणीय मानदंड (ESS-3)

जाँच बिंदु	✓/X	सत्यापन/जिम्मेदारी
☐ IPM/CSA पद्धतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है	☐	तकनीकी टीम
☐ कीटनाशक/रसायन सुरक्षित रूप से रखे जाते हैं	☐	FPO/SHG
☐ रासायनिक कंटेनरों का सुरक्षित निपटान होता है	☐	FPO/SHG
☐ अपशिष्ट प्रबंधन की उचित व्यवस्था है	☐	FPO/SHG
☐ जल-बचत पद्धतियाँ अपनाई जा रही हैं	☐	तकनीकी टीम

6. सामुदायिक सुरक्षा मानदंड (ESS-4)

जाँच बिंदु	✓/X	सत्यापन/जिम्मेदारी
☐ कृषि-रसायनों का सुरक्षित संचालन एवं PPE उपयोग	☐	फील्ड टीम
☐ GBV/SEA/SH जागरूकता एवं IEC प्रदर्शित है	☐	DPIU/फील्ड टीम
☐ कार्यस्थल पर सुरक्षित परिस्थितियाँ हैं	☐	कार्यस्थल प्रभारी

C – समावेशन जाँच

7. लैंगिक समावेशन

जाँच बिंदु	✓/X	सत्यापन
☐ महिला लाभार्थियों को शामिल किया गया है	☐	ब्लॉक/FPO
☐ नेतृत्वकारी भूमिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है	☐	FPO/SHG
☐ महिलाओं को प्रशिक्षण एवं उद्यमों से जोड़ा गया है	☐	FPO/फील्ड टीम

8. संवेदनशील/कमजोर समूह

जाँच बिंदु	✓/X	सत्यापन
☐ SC/ST परिवार शामिल हैं	☐	ब्लॉक टीम
☐ लघु एवं सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी गई है	☐	FPO/ब्लॉक
☐ भूमिहीन एवं संवेदनशील परिवार शामिल हैं	☐	FPO/SHG

D – पर्यावरणीय जाँच

9. जैव-विविधता प्रबंधन (ESS-6)

- ☐ संरक्षित/पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में गतिविधि नहीं है।
- ☐ स्थानीय/देशज प्रजातियों एवं कृषि-वनीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- ☐ प्राकृतिक आवास/पर्यावास को कोई नुकसान नहीं है।

10. सांस्कृतिक विरासत (ESS-8)

- ☐ सांस्कृतिक/धार्मिक स्थलों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है।
- ☐ कर्मचारियों/फील्ड टीम को Chance-Find Procedure की जानकारी दी गई है।
- ☐ 100 मीटर, 300 मीटर एवं 500 मीटर के लागू मानदंडों का पालन किया जा रहा है।

E – शिकायत निवारण तंत्र (GRM) जाँच

11. शिकायत दर्ज करने एवं निवारण की व्यवस्था

- ☐ स्थल पर शिकायत रजिस्टर/शिकायत पेटी उपलब्ध है।
- ☐ GRM संपर्क विवरण सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित है।
- ☐ शिकायत प्राप्ति की पुष्टि 48 घंटे के भीतर की जाती है।
- ☐ शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा में निवारण किया जाता है।
- ☐ GBV से संबंधित शिकायतों को गोपनीय रूप से संभाला जाता है।

F – GO / NO-GO निर्णय

निर्णय	मानदंड	कार्रवाई
☒ GO – आगे बढ़ें (C)	सभी चेकलिस्ट बिंदुओं का अनुपालन	ESMP आवश्यक नहीं
☐ CONDITIONAL GO – सशर्त स्वीकृति (B)	छोटी कमियाँ पाई गईं; सुधार/शमन कार्य निर्धारित	ESMP/शमन उपाय तैयार एवं लागू करें
☐ NO-GO – स्वीकृत नहीं (A)	बहिष्करण सूची की कोई स्थिति पाई गई	गतिविधि को आगे न बढ़ाएँ

☒ NO-GO की प्रमुख स्थितियाँ

- ☐ अनैच्छिक भूमि अधिग्रहण
- ☐ बाल श्रम/जबरन श्रम
- ☐ महत्वपूर्ण पर्यावरणीय क्षति
- ☐ परिवारों/आजीविका का विस्थापन
- ☐ प्रतिबंधित/संरक्षित क्षेत्र में गतिविधि

अंतिम सत्यापन

जिला: _____

ब्लॉक: _____

ग्राम/FPO/SHG: _____

उप-परियोजना/गतिविधि: _____

जाँचकर्ता का नाम: _____

पद: _____

दिनांक: _____

हस्ताक्षर: _____

अंतिम निर्णय:

☐ ☒ GO

☐ ☒ CONDITIONAL GO

☐ ☒ NO-GO

महत्वपूर्ण: NO-GO गतिविधि को स्वीकृति, वित्तपोषण या कार्यान्वयन हेतु आगे न बढ़ाया जाए।

अनुलग्नक-2

सामाजिक एवं पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों में अच्छी प्रथाएँ (UPAGREES के परिप्रेक्ष्य में)

1. सामाजिक सुरक्षा उपाय – अच्छी प्रथाएँ

1. महिला-केंद्रित किसान समूह (लैंगिक समावेशन)

प्रस्तावित प्रथाएँ:

- एफपीओ (FPO) / एफपीजी (FPG) में 30% या उससे अधिक नेतृत्व पद महिलाओं के लिए आरक्षित करना।
- केवल महिलाओं के स्वयं सहायता समूह (SHGs) एवं उत्पादक समूहों का गठन।
- बैठकों का समय महिलाओं के कार्य-समय के अनुरूप निर्धारित करना।

प्रभाव:

- महिलाओं की अधिक भागीदारी।
- परिवार की आय एवं निर्णय लेने की क्षमता में सुधार।

UPAGREES में उपयुक्तता: महिला-नेतृत्व वाले एफपीओ, स्वयं सहायता समूह (SHG) आधारित उद्यम क्लस्टर।

2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं लघु किसानों का लक्षित समावेशन

प्रस्तावित प्रथाएँ:

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा सीमांत किसानों के लिए **अलग लाभार्थी कोटा** निर्धारित करना।
- विभेदित सहायता (अधिक सब्सिडी / प्राथमिकता आधारित ऋण सुविधा) प्रदान करना।
- प्रभावशाली वर्गों द्वारा लाभों पर एकाधिकार रोकने हेतु ग्राम स्तर पर सामाजिक मानचित्रण (Social Mapping) करना।

प्रभाव:

- वंचित वर्गों के बहिष्करण में कमी।
- लाभों का अधिक न्यायसंगत वितरण।

UPAGREES में उपयुक्तता: क्लस्टर विकास एवं किसान समेकन।

3. सामुदायिक सुरक्षा उपायों के साथ स्वैच्छिक भूमि दान (ESS5)

प्रस्तावित प्रथाएँ:

- स्वैच्छिक भूमि दान हेतु लिखित सहमति प्राप्त करना।
- तृतीय पक्ष (Third Party) की उपस्थिति एवं शिकायत दर्ज कराने का विकल्प उपलब्ध कराना।
- यह सुनिश्चित करना कि किसी भी व्यक्ति की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

प्रभाव:

- विवादों की रोकथाम।
- विश्व बैंक के पर्यावरण एवं सामाजिक ढाँचे (WB ESF) का अनुपालन सुनिश्चित करना।

UPAGREES में उपयुक्तता: लघु गोदाम, पैक हाउस तथा सामुदायिक सुविधाएँ।

4. समुदाय-आधारित शिकायत निवारण तंत्र (GRM)

प्रस्तावित प्रथाएँ:

- बहु-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र (ग्राम/परियोजना स्थल – जिला – राज्य स्तर) स्थापित करना।
- टोल-फ्री नंबर, व्हाट्सएप तथा ऑफलाइन माध्यम से शिकायत दर्ज करने की सुविधा।
- महिला-अनुकूल एवं गुमनाम शिकायत दर्ज करने के विकल्प उपलब्ध कराना।

प्रभाव:

- समुदाय का विश्वास बढ़ना।
- विवादों का शीघ्र समाधान।

UPAGREES में उपयुक्तता: किसान सेवाएँ, सब्सिडी वितरण एवं उद्यम सहायता।

5. लैंगिक आधारित हिंसा (GBV), यौन शोषण एवं दुर्यवहार (SEA) तथा यौन उत्पीड़न (SH) हेतु सुरक्षित शिकायत प्रोटोकॉल

प्रस्तावित प्रथाएँ:

- जीबीवी (GBV) से संबंधित शिकायतों का गोपनीय तरीके से निस्तारण।
- महिला शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति।
- पीड़ित-केंद्रित सहायता एवं आवश्यक सेवाओं हेतु संदर्भ (Referral) व्यवस्था।

प्रभाव:

- सुरक्षित परियोजना वातावरण।
- विश्व बैंक के लैंगिक सुरक्षा मानकों का अनुपालन।

UPAGREES में उपयुक्तता: महिला उत्पादक समूह (PGs), स्वयं सहायता समूह (SHGs) कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रशिक्षण एवं उद्यम कार्यस्थल।

6. ग्रामीण उद्यमों में निष्पक्ष श्रम मानक (ESS2)

प्रस्तावित प्रथाएँ:

- बाल श्रम/जबरन श्रम का बहिष्कार
- कृषि उद्यमों के श्रमिकों के लिए लिखित अनुबंध।
- पुरुष एवं महिला श्रमिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन।
- श्रम प्रबंधन के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना
- व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (OHS) किट उपलब्ध कराना।

प्रभाव:

- श्रमिकों के शोषण की रोकथाम।
- उत्पादकता में वृद्धि।

UPAGREES में उपयुक्तता: प्रसंस्करण इकाइयाँ, कोल्ड स्टोरेज एवं मूल्य श्रृंखलाएँ।

7. सहभागी योजना निर्माण एवं सामाजिक अंकेक्षण

प्रस्तावित प्रथाएँ:

- उप-परियोजनाओं की स्वीकृति से पूर्व ग्राम सभा से परामर्श।
- परियोजना लाभों का वार्षिक सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit)।

प्रभाव:

- पारदर्शिता में वृद्धि।
- समुदाय में स्वामित्व की भावना विकसित होना।

UPAGREES में उपयुक्तता: क्लस्टर योजनाएँ एवं अवसंरचना निवेश।

III. समेकित सर्वोत्तम प्रथाएँ (सामाजिक + पर्यावरणीय)

8. लैंगिक एवं जलवायु-एकीकृत हस्तक्षेप

प्रस्तावित प्रथाएँ:

- महिलाओं को जलवायु-स्मार्ट कृषि का प्रशिक्षण देना।
- महिलाओं को कृषि अवशेष प्रबन्धन की गतिविधियों पर प्रशिक्षित करना
- महिलाओं के नेतृत्व वाले हरित उद्यमों (जैसे सोलर ड्रायर, जैव-आधारित इनपुट इकाइयाँ) को बढ़ावा देना।

प्रभाव:

- लैंगिक समानता एवं जलवायु अनुकूलन—दोनों क्षेत्रों में संयुक्त लाभ।

UPAGREES में उपयुक्तता: महिला उत्पादक समूह (PGs) एवं स्वयं सहायता समूह (SHGs) आधारित आजीविका कार्यक्रम।

9. डिजिटल सुरक्षा उपायों की निगरानी (MIS आधारित)

प्रस्तावित प्रथाएँ:

- सुरक्षा उपायों की वास्तविक समय (Real-Time) निगरानी हेतु डैशबोर्ड।
- जियो-टैग किए गए अनुपालन साक्ष्य (Geo-tagged Compliance Evidence)।

प्रभाव:

- निगरानी एवं पर्यवेक्षण में सुधार।

UPAGREES में उपयुक्तता: UPAGREES एमआईएस (MIS) एवं विश्व बैंक रिपोर्टिंग।

10. तृतीय पक्ष द्वारा पर्यावरणीय एवं सामाजिक अंकेक्षण

प्रस्तावित प्रथाएँ:

- परियोजना के मध्यावधि (Mid-term) एवं समापन (End-term) पर बाह्य अंकेक्षण।
- अंकेक्षण निष्कर्षों का सार्वजनिक प्रकटीकरण।

प्रभाव:

- परियोजना की विश्वसनीयता में वृद्धि।

UPAGREES में उपयुक्तता: विश्व बैंक वित्तपोषित परियोजनाओं में जवाबदेही सुनिश्चित करना।